राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक पं 8(33)चिस्वा/ग्रुप–2/2015 पार्ट जयपुर, दिनांक 11.6.19

–: आदेश :–

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 24–बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 11.12.2015 में डॉ. जितेन्द्र कुमार चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जन्म दिनांक 26.08.1959 के नाम पर विचार कर इनक विरूद्व सीसीए नियम 17 में ज्ञापन दिनांक 18.5.2011 जारी होने के कारण इनका पदोन्नति परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा की गई।

डॉ. जितेन्द्र कुमार चौधरी के विरूद्व विचाराधीन विभागीय जांच में आरोप सिद्ध नहीं होने के फलस्वरूप निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा दिनांक 30.12.2014 को प्रकरण को समाप्त किये जाने के पश्चात् उनके प्रस्तावानुसार डॉ. चौधरी का बन्द लिफाफा खोला जाकर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत डॉ. जितेन्द्र कुमार चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जन्म दिनांक 26.08.1959 को स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा अनुसार उप निदेशक एवं समकक्ष पद पर दिनांक 11.7.2011 से पदोन्नत किया जाता है। डॉ. चौधरी पदोन्नति पर यथावत पदस्थापित रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।

(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव